न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिह रतनू आर.ए.एस.
उनवान :– विविध प्रकारण संख्या 894/2018

1. हरीश पुत्र श्री मनफूल जाति बिश्नोई निवासी 4 एच बड़ा हाल 4 जी जवाहरनगर, श्रीगंगानगर।
2. श्याम पुत्र श्री मनफूल जाति बिश्नोई निवासी 4 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. काशीराम } पिसरान श्री सहीराम जाति बिश्नोई निवासी 4 एच बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. किशनलाल }
3. रवि कुमार } पिसरान श्री किशनलाल जाति बिश्नोई निवासी 4 एच बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. नवीन कुमार }
5. विष्णुदत्त पुत्र श्री पतराम जाति बिश्नोई निवासी 4 एच बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर
6. रामस्वरूप पुत्र श्री पतराम राम जाति बिश्नोई निवासी 4 एच बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर
7. सुरेन्द्रकुमार पुत्र श्री हनुमान जाति बिश्नोई निवासी रोहिडांवाली जिला श्रीगंगानगर
8. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री तेजासिंह – – प्रार्थी 1, 2
2. श्री विक्रम बिश्नोई – – अप्रार्थी 1, 7
3. पैरोकार राज – – अप्रार्थी 8

अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 के विरूद्ध दिनांक 05.09.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 28.02.2020

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थीगण की चक 4 एच बड़ा तह.व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 44/39 मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 3,4,7,8,13,14,16 ता 18, 23 ता 25 में 2.986 है. व मुरब्बा नम्बर 41 के किला [illegible] ता 6 व 7/1 में 1.645 है. कुल 4.681 है. भूमि मुश्तर्का खाता में है जिसमें सुरेन्द्र कुमार [illegible] हनुमान 936 हिस्सा, हरीश कुमार, श्यामसुन्दर पिसरान मनफूल पाकिस्तानी रामचन्द्र [illegible] है. बहिस्सा बराबर दर्ज है। जिसके प्रार्थीगण मालिक है। जमाबन्दी शामिल प्रार्थना–पत्र है। चक 4 एच बड़ा [illegible] आबादी में पक्की रोड़ है वहां से दो मुरब्बे मंजूरशुदा रास्ता है मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 20, 21 में भी रास्ता मंजूर है किला नम्बर 10,11 अप्रार्थीगण का है और मुरब्बा नम्बर 41 का किला नम्बर 1 ता 6 व 7 में 10 बिस्वा मुश्तर्का खाता में प्रार्थीगण का नाम दर्ज है उससे आगे मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 21 के कॉर्नर से मुरब्बा नम्बर 27 में प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.11 16:27:15 IST
Reason: SelfAttested

वेश करते है। मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 16 में .228 है. किला नम्बर 25 में .228 है जिसमें से शेष .025–.025 है. जमाबन्दी में कम दिखाया गया है वह भी रास्ता है लेकिन जमाबन्दी में दो दो बिस्वा दिखाया नहीं गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण आबादी से मंजूरशुदा रास्ता से आकर मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 20,21 तक मंजूरशुदा रास्ता से पहुंचता है उसके बाद 1,10, 11 में से मौके पर जो रास्ता चल रहा है वह मंजूर करवाने के लिए आवेदन कर रहा है मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 21 के कॉर्नर से किला नम्बर 25 में प्रवेश करेगा। इसलिए किला नम्बर 21 की कोने में कॉर्नर 11 फुट यदि रास्ता मंजूर हो जाता है तो प्रार्थीगण अपने खेत में प्रवेश कर जायेंगे और मौके पर यह रास्ता पिछले 40 सालों से चल रहा है। इसी कारण मुरब्बा नम्बर 26, 27 व 41 की कुल 62 बीघो के खाते के लिए सहमति से रास्ता छोड़ रखा है दिनांक 14–4–2011 को रास्ता की बाबत सहमति–पत्र भी लिखा गया जो शामिल प्रार्थना–पत्र है। खाता संख्या 82/70 मुरब्बा नम्बर 41 किला नम्बर 7/2 का 10 बिस्वा किला नम्बर 8 ता 15 सालम, 16/1 की 2.341 है. भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की मुश्तर्का खाता में दर्ज है व मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 21 प्रतिवादी विष्णुदत्त के नाम से 0.188 है. व रामस्वरूप के नाम से 0.063 है. रकबा है। इसलिए इनको पक्षकार बनाया जा रहा है। इनके रकबे में से रास्ता अगर मंजूर हो जाता है तो प्रार्थी अपने खेत में प्रवेश करके काश्त कर सकते हैं और इससे पहले मौके पर जो रास्ता चल रहा है इसी रास्ता से जाकर प्रार्थीगण काश्त कर रहे थे। प्रार्थीगण को खेत में आना जाना पड़ता है कृषि के औजार लेजाने पड़ते है। रास्ता बन्द करने से प्रार्थीगण खेत में प्रवेश करने से वंचित हो रहे है। ऐसी सूरत में मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 1,10,11 में डेढ डेढ बिस्वा व मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 21 कॉर्नर से 11/2 फुट रास्ता मंजूर करवाने के लिए निवेदन कर रहे है। इस रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण के खेत में जाने के लिए नहीं है। इसके बदले में प्रार्थीगण डी एल सी रेट की दुगनी राशि देने के लिए पहले भी तैयार थे आज भी तैयार है। धारा 251–ए के सबक्लाज 2 में यदि पक्षकार के पास कोई रास्ता नहीं है तो उसे रास्ता दिया जावे। यही एक्ट की मंशा है। चक 4 एच बड़ा मुरब्बा नम्बर 26, 27 व 41 की 62 बीघा भूमि का पहले से सहमति के आधार पर विभाजन किया हुआ है। इसलिए सभी पक्षों की सहमति से मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 1,10,11,20,21 व मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 11,20,21 व मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 16, 17 में एक एक बिस्वा रास्ता सहमति से छोड़ा हुआ है जो मोके पर चल रहा है यह पुराना घरेलू बंटवारा के अनुसार 40 साल पहले छोड़ा था जिसकी लिखापढ़ी 14–4–2011 को की गयी थी जिसमें सभी पक्षकारों की सहमति से रास्ता छोड़ा गया है। इसी जगह पर ही प्रार्थीगण मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 1,10,11 व मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 21 के कॉर्नर पर मंजूर करवाने हेतु आवेदन पत्र दिया है लेकिन खाता मुश्तर्का होने के कारण कुछ पक्षकार अब रास्ता में अड़चन पैदा कर रहे है। यदि दौराने प्रार्थना–पत्र रास्ता अवरूद्ध कर दिया तो प्रार्थीगण अपने खेत में काश्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए दौराने प्रार्थना–पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी आवश्यक है कि जो गांव से मंजूरशुदा रास्ता मुरब्बा नम्बर 41 तक आता है और [illegible] मुरब्बा नम्बर 41 व 26 में सहमति के आधार पर चालू रास्ता जो छोड़ रखा है उसे [illegible] या अड़चन पैदा करने से निषेध रहे। प्रार्थीगण को चक 4 एच [illegible] मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 1 ता 7 व मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 3,4,7,8,13, [illegible]6,17,18,23 ता 25 कुल 4.681 है. मुश्तर्का खाते में दर्ज है लेकिन प्रार्थीगण को घरेलू बंटवारा में अपने हिस्से की भूमि मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 3,8,13, 18 के 6 बिस्वा 17 के 4 बिस्वा व 16 के 4 बिस्वा भूमि दी हुई है मौके पर इन किलों पर अपने हिस्से के अनुसार काबिज है इन किलों को रास्ता की आवश्यकता है। न्यायहित में इस खाते के लिए रास्ता मंजूर किया जाना न्यायहित में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.11 16:27:15 IST
Reason: SelfAttested

आवश्यक है। अतः निवेदन है कि चक 4 एच बड़ा मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 1, 10, 11 में डेढ डेढ बिस्वा व मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 21 के 11½ फुट मंजूर कर मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 16 व 25 में दो दो बिस्वा रास्ता जो कम है वह रास्ता दो दो बिस्वा दर्ज करने का आदेश प्रदान करें। यदि मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 16 व 25 में किसी कारणवंश रास्ता दर्ज न हो तो मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 20 व 21 में भी डेढ डेढ बिस्वा रास्ता दर्ज किया जावे। किला नम्बर 20 से आगे मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 16 में प्रार्थीगण अपने खाते में चले जायेंगे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा जरिए कमांक राजस्व/19/627 दिनांक 10.06.2019 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके तथ्यानुसार मौका एवं रिकार्ड की रिपोर्ट भ0 अभि0 निरी0 शिवपुर व पटवारी हल्का रोहिडावाला से करवाई गई है जिसकी बिन्दुवार रिपोर्ट निम्न प्रकार से है::—

1— प्राथीगण द्वारा चाहा गया रास्ता मुताबिक जमाबदी सम्वत 2067—70 चक 4 एच बडा के खाता सख्या 44 के मु0 न0 27 के किला न0 3,04,7,8,13,14,16 ता18,23 ता 25 व मुन0 41 के किला न0 1 ता 06 , व 7/1 कुल 4.681 हैक नहरी रकबा मुस्तर्का खाता मे दर्ज रिकार्ड है जिसमे जाने हेतु रास्ता उपलब्ध नही है। जमाबन्दी की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न प्रेषित है।

2 — मौका के अनुसार मु0 न0 41 के किला न0 1,10,11,20,21 मे रास्ता चालू है तथा राजस्व रिकार्ड मे गैर मु० रास्ता दर्ज नही है मु0 न028 के किला न0 11,20,21 मे पश्चिम दिशा मे रास्ता चालू है। वादीगण के द्वारा मु0 न0 41 के किला न 20—21 मे स्वीकृत शुदा रास्ता है। वादीगण के द्वारा मु0 न0 41 के किला किला न0 10—11 मे 12.5 फटु प्रत्येक तथा मु0 न0 26 के किला न0 21 के कोने पर 11.5 फुट रास्ता स्वीक्त करवाना चाहता है। पश्चिम दिशा मे रास्ता चालू है लेकिन राजस्व रिकार्ड मे किला न0 20 व 21 मे गैर मु0 रास्ता दर्ज है. वादी के द्वारा मु0 न0 41 के किला न0 01 में रास्ता स्वीकृत की माग नही की है। मौका नक्शा समान है। वादीगण के खाता को स्वीकृत शुदा रास्ता उपलब्ध नही है।

4— यह है कि वादीगण के द्वारा क्षतिपूर्ति में शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतू माननीय न्यायालय मे अपने स्तर पर प्रस्तुत कर देगे। वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मय मौका नक्शा जमाबदी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 31.07.2019 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्यानुसार प्रारम्भिक आपतियां :— प्रार्थीगण ने चक 4 एच बड़ा के खाता सं. 44/39 की भूमि के लिए रास्ता की मांग की है। खाता सं. 44/39 की भूमि मे प्रार्थीगण के अलावा सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री हनुमान, पृथ्वीराज पुत्र श्री प्रतराम, मोहनी देवी पत्नी श्री गोपीराम, कृपाराम, देवीलाल, इन्द्रपाल, सुरेन्द्र कुमार पिसरान श्री गोपीराम, [illegible] देवी, सीमा पुत्रीयान गोपीराम, सुनीता पुत्री रामचन्द्र, पवन कुमार, आलोक कु[illegible] पिसरान रामचन्द्र, कलावती, राजेन्द्र, शीला, राजाराम, कृष्णा, राममूर्ति, इन्द्रा पिसरान बृजलाल भी उक्त खाता मे हिस्सेदार है। उक्त खाता संयुक्त खाता है। प्रार्थीगण ने इन सभी खातेदारान को पक्षकार नही बनाया है और आवश्यक खातेदारो को पक्षकार न बनाये जाने से आवेदन पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 2 मे मुरब्बा नं. 27 के किला नं. 16 व 25 मे से 2—2 बिस्वा रास्ता होना स्वयं स्वीकार किया है और किला नं. 16 व 25 मे रास्ता होने से नया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.11 15:27:15 IST
Reason: SelfAttested

रास्ता स्वीकार नही किया जा सकता है और रास्ता उपलब्ध होने से कानूनन नया रास्ता स्वीकार नही किया जा सकता है और प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 1 मे भूमि का विवरण स्वीकार है परन्तु इस खाता के कुल खातेदारान का प्रार्थीगण ने न तो नाम दर्ज किया है और न उन्हे पक्षकार बनाया है। प्रार्थना पत्र के इस पैरा मे दर्ज खाता सं. 44/39 के मुरब्बा नं. 27 व 41 की संयुक्त भूमि के लिए अकेले प्रार्थीगण ने ही रास्ता की मांग की है अन्य खातेदारान ने रास्ता की मांग नही की है, क्योंकि इस खाता की भूमि को रास्ता की आवश्यकता नही है। मुरब्बा नं. 27 के पश्चिमी दिशा में मुरब्बा नं. 28 है। मुरब्बा नं. 28 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 मे से रास्ता चल रहा है और इस खाता की भूमि को मुरब्बा नं. 27 के किला नं. 1 व 2 के उत्तरी दिशा मे पत्थर लाईन पर रास्ता चल रहा है जिससे आवागमन करके इस खाता की भूमि की काश्त की जाती है। रास्ता का नक्शा संलग्न जवाब है। प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 2 जिस प्रकार से दर्ज किया गया है गलत होने से स्वीकार नही है। मुरब्बा नं. 41 के किला नं. 20 व 21 मे रास्ता मुरब्बा नं. 41 की शेष भूमि के लिए है। किला नं. 10 व 11 मे कोई रास्ता नही है। मुरब्बा नं. 26 के किला नं. 21 के कॉर्नर से मुरब्बा नं. 27 मे प्रवेश करने का कथन गलत है। मुरब्बा नं. 27 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 मे सिंचाई विभाग का स्वीकृत खाला है और मुरब्बा नं. 26 के किला नं. 21 के पश्चिमी दिशा मे मुरब्बा नं. 27 मे से चल रहे खाल स्थित व चालू होने से मुरब्बा नं. 27 मे प्रवेश करने का कथन झूठा हो जाता है। मुरब्बा नं. 27 के किला नं. 16 व 25 मे रास्ता प्रार्थीगण स्वयं स्वीकार करते है। इसलिए नये रास्ते की कोई आवश्यकता नही है। मुरब्बा नं. 27 के किला नं. 16 व 25 मे रास्ता इसी मुरब्बा के किला नं. 5, 6, 15 से आता है। इसलिए नये रास्ते की आवश्यकता नही है। इस पैरा मे यह रास्ता 40 वर्षों से चालू होना झूठा व गलत अंकित किया गया है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है। दिनांक 14–04–2011 को या अन्य किसी दिनांक को रास्ता की बाबत कोई लिखित नही की गई थी, प्रार्थीगण ने ऐसी कोई लिखित बनायी है और पेश की है तो वह फर्जी व कूटरचित प्रलेख है। प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 3 मे मुरब्बा नं. 26 के किला नं. 21 विष्णुदत्त व रामस्वरूप के नाम दर्ज होने से इन्हे पक्षकार बनाया जाना स्वीकार है परन्तु प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में रामस्वरूप का पत्ता 4 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर गलत दर्ज किया है। रामस्वरूप पुत्र पतराम राजस्थान विधानसभा मे अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त थे और रामस्वरूप पुत्र पतराम की रिहायशी जयपुर शहर मे है और वर्तमान मे अमेरिका देश मे अपनी पुत्रीयो के पास रह रहे है। ऐसी सूरत मे प्रार्थीगण ने रामस्वरूप का गलत पता दर्ज किया है और इस प्रकार रामस्वरूप की पर्याप्त तामिल नही हुई है ओर रामस्वरूप के सही पते पर नोटिस भेज कर तामिल करवायी जानी आवश्यक है। प्रार्थीगण ने मुरब्बा नं. 41 व मुरब्बा नं. 26 के किला नं. 21 मे से चल कर अपनी भूमि की कभी काश्त नहीं की है। प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 4 मे दर्ज कथन गलत होने से स्वीकार नहीं है प्रार्थीगण घरेलू बंटवारा मे मुरब्बा नं. 27 के किला नं. 3, 8, 13, 16, 17, 18 मे भूमि प्राप्त होना बयान करते है। मुरब्बा नं. 27 के पश्चिमी दिशा मे स्थित मुरब्बा नं. 28 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 मे से रास्ता चलता है और प्रार्थीगण मुरब्बा नं. 27 के किला नं. 1 व 2 के उत्तरी दिशा में पत्थर लाईन पर चल रहे रास्ता से प्रवेश कर मुरब्बा नं. 27 के किला नं. 3 मे प्रवेश कर अपनी भूमि काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण के पास किला नं. ... रास्ता होने से मुरब्बा नं. 41 के किला नं. 10, 11 व मुरब्बा नं. 26 के किला नं. 21 मे से रास्ता न होने से रास्ता स्वीकृत करवाने के अधिकारी नही है। आवेदन पत्र खारिज होने योग्य है। चक 4 एच बड़ा के मुरब्बा नं. 26, 27 व 41 के काश्तकारान द्वारा सहमति से मुरब्बा नं. 41 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 व मुरब्बा नं. 26 के किला नं. 11, 20, 21 व मुरब्बा नं 27 के किला नं. 16 व 17 मे 1–1 बिस्वा रास्ता छोड़ा होना व चालू होना स्वीकार नही हैं। ऐसी कोई सहमति

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.11 15:27:15 IST
Reason: SelfAttested

रास्ता बाबत नही हुई थी। इस पैरा मे यह रास्ता 40 साल से छोड़ा होना और दिनांक 14–04–2011 को लिखा पढ़ी होना स्वीकार नही है। प्रार्थी ने ऐसी कोई फर्जी लिखा पढ़ी तैयार की है। इस पैरा मे पक्षकारान द्वारा अड़चन पैदा करने का कथन गलत दर्ज किया है। प्रार्थीगण की भूमि के लिए किला नं. 1 व 2 मे से रास्ता चालू है। नये रास्ता की कोई आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 6 मे प्रार्थी को घरेलू बंटवारा के मुरब्बा नं. 27 के किला नं. 3, 8, 13, 16, 17, 18 मे भूमि प्राप्त होना स्वीकार है और किला नं0 3 के लिए इसी मुरब्बा नं. किला नं. 1 व 2 मे से रास्ता सदामत से चल रहा है। जो में सुविधाजनक व पर्याप्त है नये रास्ते की आवश्यकता नही है। अतः उतर प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 को जारी रजिस्टर्ड नोटिस से होने पर न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 के विरूद्व दिनांक 05.09.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा दिनांक 31.01.2020 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्यानुसार प्रार्थीगण ने चक 4 एच बड़ा के खाता सं. 44/39 की भूमि के लिए रास्ता की मांग की है। खाता सं. 44/39 की भूमि मे प्रार्थीगण के अलावा सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री हनुमान, पृथ्वीराज पुत्र श्री पतराम, मोहरा देवी पत्नी श्री गोपीराम, कृपाराम, देवीलाल, इन्द्रपाल, सुरेन्द्र कुमार पिसरान श्री गोपीराम, सरस्वती देवी, सीमा पुत्रीयान गोपीराम, सुनीता पुत्री रामचन्द्र, पवन कुमार, आलोक कुमार पिसरान रामचन्द्र, कलावती, राजेन्द्र, शीला, राजाराम, कृष्णा, राममूर्ति, इन्द्रा पिसरान बृजलाल भी उक्त खाता में हिस्सेदार है। उक्त खाता संयुक्त खाता है। प्रार्थीगण ने इन सभी खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया है और आवश्यक खातेदारो को पक्षकार न बनाये जाने से आवेदन पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 2 मे मुरब्बा नं. 27 के किला नं. 16 व 25 हो, बिस्वा रास्ता होना स्वयं स्वीकार किया है और किला नं. 16 व 25 मे रास्ता होने से नया रास्ता स्वीकार नही किया जा सकता है और रास्ता उपलब्ध होने से कानूनन नया रास्ता स्वीकार नही किया जा सकता है और प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 1 मे भूमि का विवरण स्वीकार है परन्तु इस खाता के कुल खातेदारान का प्रार्थीगण ने न तो नाम दर्ज किया है और न उन्हे पक्षकार बनाया है। प्रार्थना पत्र के इस पैरा मे दर्ज खाता सं. 44/39 के मुरब्बा नं. 27 व 41 की संयुक्त भूमि के लिए अकेले प्रार्थीगण ने ही रास्ता की मांग की है अन्य खातेदारान ने रास्ता की मांग नही की है, क्योंकि इस खाता की भूमि को रास्ता की आवश्यकता नही है। मुरब्बा नं. 27 के पश्चिमी दिशा मे मुरब्बा नं. 28 है। मुरब्बा नं. 28 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 मे से रास्ता चल रहा है और इस खाता की भूमि को मुरब्बा नं. 27 के किला नं. 1 व 2 के उत्तरी दिशा मे से रास्ता चल रहा है जिससे आवागमन करके इस खाता की भूमि की काश्त की जाती है। रास्ता का नक्शा संलग्न जवाब है। मुरब्बा नं. 41 के किला नं. 20 व 21 मे रास्ता मुरब्बा नं. 41 की शेष भूमि के लिए है। किला नं. 10 व 11 मे कोई रास्ता नही है। मुरब्बा नं. 26 के किला नं. 21 के कॉर्नर से मुरब्बा नं. 27 मे प्रवेश करने का कथन गलत है। मुरब्बा नं. 27 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 मे सिंचाई विभाग का स्वीकृत खाला है और मुरब्बा नं. 26 के किला नं. 21 के पश्चिमी दिशा मे मुरब्बा नं. 27 मे से चल रहे खाल स्थित व चालू होने से मुरब्बा नं. 27 मे प्रवेश करने का कथन झूंठा हो जाता है। मुरब्बा नं. 27 के किला नं. 16 व 25 मे रास्ता प्रार्थीगण स्वयं स्वीकार करते है। इसलिए नये रास्ते की कोई आवश्यकता नही है। मुरब्बा नं. 27 के किला नं. 16 व 25 मे रास्ता इसी मुरब्बा के किला नं. 5, 6, 15 से आता है। इसलिए नये रास्ते की आवश्यकता नहीं है। इस पैरा मे यह रास्ता 40 वर्षों से चालू होना द्वारा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.11 15:27:15 IST
Reason: SelfAttested

गलत अंकित किया गया है। ऐसा कोई रास्ता नही है। दिनांक 14–04–2011 को या अन्य किसी दिनांक को रास्ता की बाबत कोई लिखित नही की गई थी, प्रार्थीगण ने ऐसी कोई लिखित बनायी है और पेश की है तो वह फर्जी व कूटरचित प्रलेख है। मुरब्बा नं. 26 के किला नं. 21 विष्णुदत्त व रामस्वरूप के नाम दर्ज होने से इन्हे पक्षकार बनाया जाना स्वीकार है परन्तु प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे रामस्वरूप का पत्ता 4 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर गलत दर्ज किया है। रामस्वरूप पुत्र पतराम राजस्थान विधानसभा मे अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त थे और रामस्वरूप पुत्र पतराम की रिहायशी जयपुर शहर में है और वर्तमान में अमेरिका देश मे अपनी पुत्रीयो के पास रह रहे है। ऐसी सूरत मे प्रार्थीगण ने रामस्वरूप का गलत पता दर्ज किया है और इस प्रकार रामस्वरूप की पर्याप्त तामिल नही हुई है ओर रामस्वरूप के सही पते पर नोटिस भेज कर तामिल करवायी जानी आवश्यक है। प्रार्थीगण ने मुरब्बा नं. 41 व मुरब्बा नं. 26 के किला नं. 21 में से चल कर अपनी भूमि की कभी काश्त नहीं की है। प्रार्थीगण घरेलू बंटवारा मे मुरब्बा नं. 27 के किला नं. 3, 8, 13, 16, 17, 18 मे भूमि प्राप्त होना बयान करते है। मुरब्बा नं. 27 के पश्चिमी दिशा मे स्थित मुरब्बा नं. 28 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 मे से रास्ता चलता है और प्रार्थीगण मुरब्बा नं. 27 के किला नं. 1 व 2 के उत्तरी दिशा मे पत्थर लाईन पर चल रहे रास्ता से प्रवेश कर मुरब्बा नं. 27 के किला नं. 3 मे प्रवेश कर अपनी भूमि काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण के पास किला नं. 1 व 2 मे रास्ता होने से मुरब्बा नं. 41 के किला नं. 10, 11 व मुरब्बा नं. 26 के किला नं. 21 मे कोई रास्ता न होने से रास्ता स्वीकृत करवाने के अधिकारी नहीं है। आवेदन पत्र खारिज होने योग्य है। चक 4 एच बड़ा के मुरब्बा नं. 26, 27 व 41 के काश्तकारान द्वारा सहमति से मुरब्बा नं. 41 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 व मुरब्बा नं. 26 के किला नं. 11, 20, 21 व मुरब्बा नं. 27 के किला नं. 16 व 17 मे 1–1 बिस्वा रास्ता छोड़ा होना व चालू होना स्वीकार नही हैं। ऐसी कोई सहमति रास्ता बाबत नही हुई थी। इस पैरा मे यह रास्ता 40 साल से छोड़ा होना और दिनांक 14–04–2011 को लिखा पढ़ी होना स्वीकार नही है। प्रार्थी ने ऐसी कोई फर्जी लिखा पढ़ी तैयार की है। इस पैरा मे पक्षकारान द्वारा अड़चन पैदा करने का कथन गलत दर्ज किया है। प्रार्थीगण की भूमि के लिए किला नं. 1 व 2 मे से रास्ता चालू है। नये रास्ता की कोई आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 6 मे प्रार्थी को घरेलू बंटवारा के मुरब्बा नं. 27 के किला नं. 3, 8, 13, 16, 17, 18 मे भूमि प्राप्त होना स्वीकार है और किला नं0 3 के लिए इसी मुरब्बा नं. किला नं. 1 व 2 मे से रास्ता सदामत से चल रहा है। जो सुविधाजनक व पर्याप्त है नये रास्ते की आवश्यकता नही है। संयुक्त खाता की भूमि के लिए बिना विभाजन करवाये रास्ता की मांग नही की जा सकती। मुरब्बा नं. 27 के किला नं. 5 मे 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत है और मुरब्बा नं. 27 के किला नं. 5 मे रास्ता स्वीकृत होने से मुरब्बा नं. 27 की भूमि मे प्रवेश कर अपनी भूमि काश्त कर सकता है। ऐसी सूरत मे नया रास्ता स्वीकृत करवाने की आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 7 कानूनी है जवाब की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः उतर प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rathi
Date: 2021.06.11 16:27:15 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दोराने बहस यह बयान किया गया कि पूर्व में दिनांक 14.04.2011 को रास्ते के सम्बन्ध में पक्षकारान द्वारा बूलियतनामा द्वारा सहमति से रास्ता छोडा जा चुका है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी सम्वत् 2066–2069, ग्राम 4 एच बडा पटवार सर्किल रोहिडावाला खाता संख्या 37/26 मुरब्बा नम्बर 41, खाता संख्या 74/71 मुरबा नम्बर 26, खाता संख्या 75/72 मुरबा नम्बर 26, खाता संख्या 82/70 मुरबा नम्बर 41, खाता संख्या 44/39 मुरबा नम्बर 27 एवम् दस्तावेज कबलियत नामा सहमति से रास्ता के बारे में की प्रतियां प्रस्तुत की। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा जमाबंदीयों की प्रमाणित प्रतियां पेश की। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार (राजस्व),

श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट एवं पत्रावली के तथ्यों का अवलोकन किया गया। 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "वैकल्पिक रास्ते का अभाव" एवं "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" के बिन्दुओं पर विचारण किया जाता है। प्रार्थी के पास रास्ते का अभाव है, प्रार्थी को अपनी भूमि में जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित पाया गया। अतः प्रार्थी को उसके रकबा में आने–जाने के लिए चक 4 एच बड़ा मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 1, 10, 11 में डेढ डेढ बिस्वा व मुरब्बा नम्बर 26 में किला नम्बर 21 के 11½ फुट एवम् मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 16 व 25 में दो–दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

रास्ते के मुआवजे के फलस्वरूप डी.एल.सी. का दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवाने के उपरान्त उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में रास्ते का नियमानुसार अमल दरामद किया जावे। जमा राशि तहसीलदार जिसकी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया है उसको अपने स्तर से वितरित करेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 28.02.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.11 16:27:15 IST
Reason: SelfAttested